

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं 0612-2215041, E-mail-scdisability2008@gmail.com,
Website : scdisabilities.org

आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट 2016 की धारा-51 के तहत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के निबंधन/निबंधन का नवीकरण कराने हेतु दस्तावेज/कागजातों का विवरण :-

1. सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-21, 1860 के तहत प्रमाण-पत्र की प्रति।
2. वायलोज की सत्यापित प्रति।
3. गत तीन साल का वर्षवार अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
4. तीन साल का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिप्रमाणित।
5. संस्था द्वारा लाभान्वित दिव्यांगजनों की अभिप्रमाणित सूची (UDID अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं फोन नम्बर सहित)।
6. शपथ पत्र/उद्घोषणा (100 रू० के Non-Judicial Stamp) के माध्यम से - तीन वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में गैरलाभकारी उद्देश्यों के साथ कार्यरत रहने एवं अनुदान प्राप्ति/अनुदान रहित रहने के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण सहित।
7. स्मृति-पत्र तथा संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं सदस्यों का छायाचित्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड सहित-RCI No.)
8. कार्यालय का छायाचित्र [कार्यालय का पता (Address Proof), भाड़े की हो तो एकरारनामा]] एवं विद्युत बिल सहित।
9. आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र पर वर्तमान दूरभाष/मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल अंकित होना अनिवार्य है।
10. संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सूची - आर0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ/विशेष शिक्षकों/कर्मियों की सूची (C.R.R. नम्बर सहित) अभिप्रमाणित सहित।
11. बैंक पासबुक, पैन नम्बर एवं आयकर रिटर्न (तीन वर्षों) की छायाप्रति अभिप्रमाणित सहित।
12. दर्पण (भारत सरकार के एन0जी0ओ0 पोर्टल) से निबंधन नम्बर सहित।

नोट:- सभी वांछित अभिलेख संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (authorized signatory) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

राज्य आयुक्त निःशक्तता
के आदेशानुसार।